न्यायालयः— न्यायिक दण्डाधिकारी, मवाना, मेरठ।
वाद संख्या—119 सन् 2022

श्रीमती रेशमा बनाम वसीम आदि
थाना—मवाना, जिला मेरठ।

दिनांकः— 20.10.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी मय अधिवक्ता उपस्थित ।परिवादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसका समझौता हो गया है और वाद को आगे चलाना नहीं चाहती है। अतः वाद नोट प्रेस के आधार पर निरस्त किया जाय। क्योंकि जब वादिनी ही वाद चलाना नही चाहती है और नोट प्रेस के आधार पर निरस्त कराना चाहाती है तो ऐसी दशा में वाद लम्बित रखने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रस्तुत परिवाद नोट प्रेस के आधार पर निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शिवेन्द्र शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना,
मेरठ।
I.D.No.UP.3792

This is uncertified copy for information/Reference. for authentic copy please refer to certified copy only.

न्यायालयः— अपर सिविल जज, सी0 डि0, न्यायालय संख्या—3, मेरठ।
वाद संख्या—659 सन् 2019
हरीश इन्डस्ट्रीज बनाम मैसर्स ए0 के0 एजेन्सी आदि
थाना—सिविल लाईन, जिला मेरठ।

दिनांकः—16.08.2019

पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। तलबी पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध विपक्षीगण को विचारण हेतू तलब किए जाने के लिए प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवादी के अनुसार परिवादी हरीश इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन का प्रापराईटर है, परिवादी की फर्म ऑटो पार्टस मैन्यूफेक्चेरिंग एवं ट्रेडिंग का कार्य करती है। अभियुक्त संख्या—2 मैसर्स ए0 के0 एजेन्सी का प्रोपराईटर है तथा अभियुक्त संख्या—3 पार्टनर है। अभियुक्तगण ऑटो पार्टस लेकर ट्रेडिंग का कार्य करता है तथा परिवादी से पार्ट पेमेन्ट पर लेकर बाद में उसका भुगतान करते है। अभियुक्तगण ने आर्डर पर परिवादी से अंकन 2,25,000/—रूपये के ऑटो पार्टस खरीदे तथा भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया। परिवादी ने दिनांक 20.05.16 को बुक संख्या—1 से अभियुक्तगण को द्वारा ट्रान्सपोर्ट बिल्टी ऑटो पार्टस भिजवाये जो अभियुक्तगण को प्राप्त हो गये। परिवादी ने उक्त ऑटो पार्टस की धनराशि के बाबत अपनी धनराशि मांगी परन्तु अभियुक्तगण टाल मटोल करते रहे। तब विवश होकर परिवादी ने दिनांक 07.04.17 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पंजीकृत सूचना पत्र प्रेषित किया, नोटिस प्राप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण ने परिवादी को एक चैक संख्या—000104 दिनांकित 16.10.17 का दिया तथा विश्वास दिलाया कि चैक का भुगतान अवश्य हो जायेगा। परिवादी ने उक्त चैक को अपने बैंक में अभियुक्तगण के विश्वास पर लगाया तो उक्त चैक खाते में अपर्याप्त धनराशि न होने के पृष्ठांकन के साथ वापस हो गया। परिवादी ने इस पर अभियुक्तगण से बात की तो वह टाल मटोल करते रहे तथा आश्वासन देते रहे परन्तु आज तक अभियुक्तगण द्वारा उक्त भुगतान नहीं किया। अभियुक्तगण की परिवादी को शुरू से ही धोखा देकर उसका माल हडप करने की मंशा थी।

परिवादी ने अपना बयान अन्तर्गत धारा—200 सीआर0 पी0 सी0 तथा अन्तर्गत धारा—202 सीआर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत साक्षी पी0 डब्ल्यू0—1 पीयूष मित्तल के रूप में व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।

परिवादी द्वारा विपक्षीगण गजेन्दन प्रोपराईटर व एन0 बी0 पुरूषोथमन पार्टनर ए0 के0 एजेन्सी द्वारा परिवादी से धोखे से माल लेकर उसे उसके एवज में एक चैक यह जानते हुए दिया कि उक्त खाते में धन पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्तगण पर धोखे से माल लेकर पैसे हडप करने का आरोप लगाया गया है। इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा उसके धारा 200 सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत बयान व उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी के बयान धारा—202 सीआर0 पी0 सी0 तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के विशलेषण से विपक्षीगण गजेन्दन प्रोपराईटर व एन0 बी0 पुरूषोथमन पार्टनर ए0 के0 एजेन्सी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अन्तर्गत धारा 406 भा0 दं0 सं0 का अपराध बनता प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण गजेन्दन प्रोपराईटर व एन0 बी0 पुरूषोथमन पार्टनर ए 0 के0 एजेन्सी को धारा 406 भा0 दं0 सं0 में विचारण हेतु तलब किया जाना विधि संगत व न्ययोचित है।

आदेश

तदनुसार अभियुक्तगण गजेन्दन प्रोपराईटर व एन0 बी0 पुरूषोथमन पार्टनर ए0 के0 एजेन्सी को धारा 406 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु जरिए समन दिनांक 16.09.2019 के लिए, परिवादी द्वारा आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह किए जाने पर, तलब किया जाए। परिवादी गवाहान सूची पैरवी के साथ दाखिल करें।

(श्याम बाबू)
अपर सिविल जज, सी0 डि0,
न्यायालय संख्या–3, मेरठ।